परवीन कुमार गुप्ता बनाम हरियाणा राज्य

289

(हरसीमरान सिंह सेठी, जे.)

हरसीमरान सिंह सेठी से पहले, जे.

परवीन कुमार गुप्ता-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य उत्तरदाता 2023 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 14305

11 दिसंबर, 2023

(निर्णयों ने भरोसा दिलायाः - i) पंजाब राज्य और अन्य बनाम रफीक मसीह (व्हाइट वॉशर) आदि, 2015 (1) एस. सी. टी., 195) सिविल अपील सं. 7115-2010 शीर्षक थॉमस डेनियल बनाम केरल राज्य और अन्य। (पैरा 6) प्रत्यर्थियों को याचिकाकर्ता से वसूल की गई अतिरिक्त राशि को वापस करने का निर्देश दिया गया।

याचिकाकर्ता। सौरभ मोहंता, डीएजी, हरियाणा।

हरसिम्रन सिंह सेठी, जे. (ORAL) (1) वर्तमान याचिका में, याचिकाकर्ता का अनुरोध दिनांकित 16.12.2022 (अनुलग्नक पी/9), 04.10.2022 (अनुलग्नक पी/10) और दिनांकित 22.04.2022 (अनुलग्नक पी-11) के आदेशों को रद्द करने के लिए है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के वेतन/पेंशन को एचआरए के लाभ को वापस लेकर फिर से तय किया गया था।

(2) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि 290

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

याचिकाकर्ता को भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली, उत्तरदाता द्वारा की जा सकती है।

1 2015 (1) एससीटी 195 परवीन कुमार गुप्ता बनाम हरियाणा राज्य

291

(हरसीमरान सिंह सेठी, जे.)

(7) कानून के तय किए गए सिद्धांत के साथ पहले देखे गए तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता का दावा है कि अतिरिक्त राशि की वसूली की अनुमति है। प्रत्यर्थियों को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को बरामद की गई अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, वापस करने का निर्देश दिया जाता है। रिपोर्टर-अतुल भाटिया